संख्या-2/2016/2899/71-1-2015-जी-214/2013

प्रेषक,

जयवीर सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 06 जनवरी, 2016

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2015-16/635, दिनॉक 05-01-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1/2016/2539/71-1-2015-जी-214/2013, दिनॉक 01-01-2016 के पृष्ठाकंन संख्या-5 में त्रुटिवश "वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ" का उल्लेख हो गया है। अतः उक्त के स्थान पर "वरिष्ठ कोषाधिकारी, बदायूँ" पढ़ा जाए।

2- उपर्युकत शासनादेश संख्या-1/2016/2539/71-1-2015-जी-214/2013, दिनॉक 01-01-2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

भवदीय

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

संख्याः-2/2016/2899(1)/71-1-2015 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, बदायूँ।
3- नोडल अधिकारी, राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ।
4- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, बदायूँ।
6- प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
7- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।